भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2660
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस और एग्रीस्टैक
2660. श्री जुएल ओरामः
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस और एग्रीस्टैक से किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है;
(ख) क्या सरकार ने सूचना विषमता, डाटा गोपनीयता और सहमति, किसानों की प्रोफाइलिंग, कुप्रबंधित भूमि अभिलेखों और कृषि के निगमीकरण से संबंधित समस्याओं का गहन विश्लेषण किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) किसानों को निजी निकायों से बचाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) एकीकृत किसान सेवा इंटरफ़ेस (यूएफएसआई) का उद्देश्य कृषि मूल्य-श्रृंखला के विभिन्न डिजिटल घटकों को एकीकृत करना है। प्रणाली को गतिशील रजिस्ट्रियां अर्थात किसान रजिस्ट्री, गांव मानचित्र रजिस्ट्री का जियो संदर्भन कृषि भूमि पर फसल बुवाई की पूर्ण, वर्तमान और सही जानकारी के लिए रजिस्ट्री बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है । यह प्रणाली नीति निर्माण और अनुसंधान, फसल नियोजन और स्वास्थ्य जैसी किसान केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी, कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए सहायक, मंडी आसूचना आदि के लिए सुदृढ़ और सशक्त सांख्यिकीय आउटपुट प्रदान करती है।

(ख) से (घ): संघीय प्रणाली का निर्माण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार गोपनीयता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

****